

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

167

क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 23. 12. 2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म. प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म. प्र.
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म. प्र.
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म. प्र.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म. प्र.

विषय :- शिक्षाकर्मियों को अनुग्रह राशि की सुविधा देने के संबंध में ।


===00===

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की सुविधा शिक्षाकर्मियों के प्रकरण में इस शर्त पर दी जाये कि शिक्षाकर्मी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृत शासकीय कर्मचारी के मूल वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन § यदि कोई हो § के 6 गुना बराबर न्यूनतम राशि रुपये 10,000/- §दस हजार मात्र § एवं अधिकतम राशि रुपये 25000/- § पच्चीस हजार मात्र § के अधीन रहते हुए अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए । अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें शासकीय सेवकों को लागू शर्तों के समान होगी ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा ।

वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की तस्ती पर उनके यू.ओ. क्रमांक 1289/पे. क्र. प./चार, दिनांक 30. 11. 2005 को सहमति प्रदान की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



§ पूजा सिंघ §
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठानंकन क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 23. 12. 2005

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म. प्र. भोपाल
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म. प्र. भोपाल
 3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मध्यप्रदेश भोपाल .
 4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म. प्र. भोपाल .
 5. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल .
 6. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल .
 7. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल .
 8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म. प्र. भोपाल .
 9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म. प्र. भोपाल .
 10. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म. प्र. भोपाल .
 11. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म. प्र. भोपाल .
 12. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
 13. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, तुलसी नगर, म. प्र. भोपाल .
 14. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, म. प्र. भोपाल .
 15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म. प्र.
 16. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म. प्र.
 17. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म. प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग